न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2013/20

1. नाथू
2. जगदीश
3. लक्ष्मीनारायण

पुत्रान् गोपाल जाति जाट, निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर।

–वादीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र भूरा
2. मुरल्या पुत्र भूरा
3. हनुमान पुत्र भूरा
4. कल्याण पुत्र माधो
5. रामकरण पुत्र झूंथा
6. गंगाराम पुत्र झूंथा
7. रामपाल पुत्र गोपी
8. हरजी पुत्र गोपी
9. रामप्रसाद पुत्र गोपी
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दावा बाबत् अधिकार घोषणा एवम् निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी ए

निर्णय दिनांकः 13.04.2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर में भूमि गत खसरा नंबर 87 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। वर्तमान बन्दोबस्त के समय खसरा नंबर 87 के नए [illegible] 44 हैक्टेयर डाले गए, जबकि मौके पर उक्त [illegible] 44 हैक्टेयर नहीं है। मानचित्र में वर्तमान में खस[illegible] में से [illegible] से रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद वादीगण को बिना सुने व बिना सूचना [illegible] तहसीलदार कम भू–प्रबंध अधिकारी ने बदर आदेश दिनांक को खसरा नंबर 109 में से रकबा कम कर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नए खसरा नंबर 109/651 रकबा 0.01 ऐयर 109/652 रकबा 0.05 है नए नंबर डाल कर वादी की खातेदारी से कम कर श्रीमती धापू बेवा श्योनारायण के नाम लगा दिया। इसी प्रकार खसरा नंबर 109 में से ही 0.3 है रकबा कम कर नया खसरा नंबर 127/626 में शामिल कर कल्याण, माधो के नाम लगा दिया। इसी प्रकार वादीगण की खातेदारी में से बिना सूचना वादी व बिना सुने रकबा कम करने एवं मानचित्र में नक्शा कम करने का अधिकार बदर आदेश के आधार पर भू–प्रबंध विभाग को नहीं था। दोनो मानचित्रों को मिलाने से खसरा नंबर 87 का रकबा कम किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी प्रकार भूमि गत खसरा नंबर 506, 507 एवम् 508 रकबा क्रमश 2 बीघा 9 बिस्वा, 2 बीघा 12 बिस्वा, 1 बीघा 12 बिस्वा कुल 6 बीघा 13 बिस्वा वादीगण की खातेदारी में दर्ज था वर्तमान बन्दोबस्त में खसरा नंबर 607 रकबा 0.53 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 216 रकबा 0.02 हैक्टेयर बनाए गए कन्नू कंवर आदेश से खसरा नंबर 216 झूंथा पुत्र सालगा, गोपी पुत्र नानूडा के नाम कर दिया इस प्रकार गत रकबे के मुकाबले प्रार्थीगण की 0.11 हैक्टेयर कम कर दिया गया है तथा नक्शे का क्षेत्रफल भी कम किया गया है, अतः उक्त कम रकबे की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। गत खसरा नंबर 506, 507 एवम् 508 के रकबे को कम करने का अथवा नक्शे को परिवर्तित करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नही है तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा किया गया समस्त इन्द्राज वादीगण के मुकाबले प्रभावशून्य है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। वादीगण को पूर्व में उक्त इन्द्राजात की कोई जानकारी नहीं थी, जब उन्होने तहसील से रिकॉर्ड की नकले ली तो उस बात की जानकारी हुई तो उन्होने प्रतिवादीगण को उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कराने को दिनांक 13.07.99 को कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कराने से मना कर दिया, अतः यही वाद हेतुक उत्पन्न होकर वादीगण को वाद अधिकार घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् अधिकार घोषणा डिक्री किया जाकर गत खसरा नंबर 506, 507 एवम् 508 के हाल खसरा नंबर 607 एवम् 216 बनाए गए हैं, के रकबे व नक्शे को दुरूस्त किया जावें तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत न करें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि बदर यानी त्रुटि होने पर दुरूस्ती का अधिकार विभाग को है। इस त्रुटि के संबंध में अन्तर्वलित प्रश्न का समुचित उत्तर देने के न्याय निर्णयक अपेक्षा हेतु राज. सरकार द्वारा तहसीलदार सांगानेर को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। त्रुटि की दुरूस्ती करने पर खसरा नंबर 109/651 रकबा 0.01 है0. व खसरा नंबर 109/652 रकबा 0.06 है0 जो बनाये गये है व गत खसरा नंबर 76 के जुज है जो मुताबिक गत नक्शा व रकबा के अनुसार मिन जवाबदाता का खातेदारी का होता है। वादीगण का इससे कोई लेना देना नही है। त्रुटि की दुरूस्ती कराने का अधिकार त्रुटिकर्ता विभाग को है भू-प्रबंध विभाग को त्रुटि दुरूस्त करने [illegible] थे। इस संबंध में राज सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है सम्बन्धित विभाग से उत्तर की अपेक्षा राजस्थान सरकार से की जानी चाहिए. जिसे पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। जब वाद पत्र राजस्थान सरकार द्वारा त्रुटि दुरूस्ती के संबंध में है, जो राजस्थान सरकार द्वारा दुरूस्ती मुताबिक गत नक्शा खसरा नंबरान् व रकबा जमाबंदी के अनुसार जांच के पश्चात विवेक से की गई है एवं दुरूस्त किया गया क्षेत्र मिन जवाबदाता की खातेदारी का है, ऐसी अवस्था में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का कोई कारण ही उत्पन्न नही होता है और न ही दिनांक 13.07.99 को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ। निरर्थक वाद दायर करने हेतु काल्पनिक वाद कारण बताया गया है। त्रुटि दुरूस्ती के फलस्वरूप जो खसरा नंबरान् मिन जवाबदाता के खाते में दर्ज किये गये है, वह क्षेत्र मिन जवाब दाता के गत खसरा नंबर 76 की खातेदारी का है, जो गत नक्शा व रकबा अनुसार मिन जवाबदाता का कब्जा व जमाना बुर्जुगान चला आ रहा है। जिसकी मुस्तकिल डोल मौके पर बनी हुईहै। ऐसी अवस्था में कब्जा हटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है और न ही वादीगण की कोई क्षति होती है। जवाब के विशेष विवरण में अंकित है कि वाद पत्र वादीगण तहसीलदार कम भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा त्रुटि दुरूस्ती के आधार पर दायर किया गया है। इस वाद में अर्न्तवलित प्रश्न का उत्तर देने हेतु राज सरकार द्वारा तहसीलदार सांगानेर को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, असंयोजन के फलस्वरूप दावा निरस्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के आदेशानुसार इस ग्राम के उन समस्त खातों की

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दुरूस्ती जिनमें त्रुटि रह गई है करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया था जिसके फलस्वरूप विभाग में जांच करवाकर गत नक्शा खसरा नंबरान व रकबा जमाबंदी के आधार पर मुताबिक पूर्व नक्शा का मौका जाँच कर दुरूस्त की गई है, ऐसी दुरूस्ती सर्वे के प्रशिक्षित कर्मचारी व अधिकारी द्वारा की गई है जो, न्यायोचित है। पूर्व नक्शे के अनुसार ही वर्तमान नक्शा बनाया गया है। एवं पुर्वानुसार ही रकबा दर्ज किया गया हैं। प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 पूर्वानुसार ही अपने खेत पर काबिज रह कर काश्त करते आ रहें है। अतः जवाब प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 3 प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण निरस्त फरमाया जावें एवं खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 3 को दिलाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि मुताबिक रिकॉर्ड गत खसरा नंबर 87 के नये नंबर 109 रकबा [illegible] हैक्टेयर है। खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989 में नोट अंकित है कि [illegible] पत्रावली क्रमांक 62 दिनांक 03.01.96 की बदर संख्या 19, 20, 48 व 50 के द्वारा खसरा नंबर 109 से 0.01 का बट्टा 109/651 व 109 से 0.05 का बट्टा 109/652 0.05 बरानी द्वितीय कुल लगानी 0.36 रू पर धापू बेवा श्योनारायण जाति जाट के नाम खसरा नंबर 216 रकबा 0.02, 225 से 0.04 का बट्टा 225/679 दर्ज कर बारानी द्वितीय लगानी 0.42 पर झूंथा पुत्र मोतया, गोपी पुत्र नानूडा जाति जाट के नाम व खसरा नंबर 220 से 0.03 का बट्टा 220/680 दर्ज कर बारानी प्रथम लगानी 0.22 पर भोल्या पुत्र भैरू हि0 1/8, नाथू, जगदीश, लक्ष्मीनारायण पि0 गोपाल हि0 1/8 स्याना, गोपाल, नाथू हि0 1/4 भूरा, सुज्या, चंदा, छीतर पि0 गोपाल हि0ब0 1/6 बालू, नाथू, पि0 मोहना 2/3 दर हिस्सा 1/2 कौम जाट के नाम दर्ज समझा जावें अंकित है। जिस पर सहायक भू–अभिलेख अधिकारी एवम् तहसीलदार सांगानेर के हस्ताक्षर है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 506 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 507 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व 508 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 607 मिन रकबा 0.56, 607 मिन रकबा 0.60 व 607 मिन रकबा 0.37 बने है।

वाद में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है :

1. आया भूमि साबिक खसरा नंबर 87 के हाल बंदोबस्त में नवीन खसरा नंबर 109 बनाकर रकबा 1.44 है0 बनाये गये जबकि मौके पर उक्त खसरा नंबर 109 का रकबा 1.44 है0 नहीं है।

–वादी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2. आया मानचित्र में खसरा नंबर 109 में से तहसील से रिकॉर्ड प्राप्त के बाद में भू–प्रबंध अधिकारी ने बदर आदेश के द्वारा खसरा नंबर 109 में से रकबा कम कर नये खसरा नंबर 109/651 रकबा 0.01 है0, 109/652 रकबा 0.05 है0 नये नंबर कायम कर धापू बेवा श्योनारायण के नाम लगा दिया। इसी प्रकार खसरा नंबर 109 में से 0.03 है0, रकबा कम कर नये खसरा नंबर 127/626 में शामिल कर कल्याण, माधो के नाम लगा दिया जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

—वादी

3. आया खसरा नंबर 506, 507 एवं 508 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज है का नवीन खसरा नंबर 607 रकबा 1.53 है0 तथा खसरा नंबर 216 का रकबा 0.02 है0, बनाकर उक्त खसरा नंबर 216 का रकबा 0.02 है0 को झूथा पुत्र सालगा, गोपी पुत्र नानूडा के नाम लगा दिया जो गलत है तथा वादीगण इसे दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

—वादी

4. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

—वादी

5. यह कि राज्य सरकार के आइदेश से खातो की दुरूस्ती की गई है तथा उसी आदेश के तहत रकबा व नक्शे में दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण के खाते में भूमि डाली गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

6. यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 गत खसरा नंबर 76 के पूर्व के नक्शे के अनुसार काबिज है तथा नया नक्शा भी गत खसरा नंबर के नक्शे अनुसार ही बनाया है। अतः वादीगण का वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

7. दादरसी

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य नाथू पुत्र गोपाल जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, मंगलराम पुत्र लादू जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, रघुनाथ पुत्र स्व0 झूथाराम जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी हसमपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, भूराराम पुत्र

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कालूराम जाति जाट उम्र 45–50 वर्ष निवासी ग्राम भापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, जगदीश पुत्र गोपाल जाति जाट पेश किये जिनसे बयान कराये गये। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षा पेश नही करने पर साक्ष्य प्रति परिक्षा का अवसर बंद किया गया।

पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेताज अवलोकन किया गया। पत्रावली में तनकीअनुसार निर्णय पारिज किया जा रहा है जो निम्न है –

1. आया भूमि साबिक खसरा नंबर 87 के हाल बंदोबस्त में नवीन खसरा नंबर 109 बनाकर रकबा 1.44 है0 बनाये गये जबकि मौके पर उक्त खसरा नंबर 109 का रकबा 1.44 है0 नहीं है।

बिन्दू संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने बिन्दू संख्या 1 को सिद्ध करने हेतु नकल जमाबंदी खतौनी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के आधार वर्ष सम्वत् 2054 की पेश की है जिसमें खसरा नंबर 109 का रकबा 1.44 है0 अंकित है। लेकिन हाल नक्शा व साबिक नक्शा में भू-प्रबंध ने साबिक नक्शा में वादीगण की भूमि को कम कर जरिये बदर पत्रावली क्रमांक 62 दिनांक 03.01.96 की बदर संख्या 19, 20, 48 व 50 के द्वारा खसरा नंबर 109 से 0.01 का बट्टा नंबर 109/651 व नंबर 109 से ही 0.05 का बट्टा नंबर 109/652 0.05 बरानी द्वितीय कुल लगानी 0.36 रू पर धापू बेवा श्योनारायण जाति जाट के नाम बिना किसी सक्षम आदेश के नियत कर दी जो तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत जवाब व वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहो से स्पष्ट है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2. आया मानचित्र में खसरा नंबर 109 में से तहसील से रिकॉर्ड प्राप्त के बाद में भू-प्रबंध अधिकारी ने बदर आदेश के द्वारा खसरा नंबर 109 में से रकबा कम कर नये खसरा नंबर 109/651 रकबा 0.01 है0, 109/652 रकबा 0.05 है0 नये नंबर कायम कर धापू बेवा श्योनारायण के नाम लगा दिया। इसी प्रकार खसरा नंबर 109 में से 0.03 है0, रकबा कम कर नये खसरा नंबर 127/626 में शामिल कर कल्याण, माधो के नाम लगा दिया जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

बिन्दू संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर था जिसको सिद्व करने हेतु वादी ने साबिक नक्शा व हाल नक्शा प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 109 रकबा 1.44 है0 में से ही खसरा नंबर 109/651 रकबा 0.01 है0, 109/652 रकबा 0.05 है0 नये नंबर बने है। तहसीलदार सांगानेर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ने भी अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि बदर आदेश के द्वारा खसरा नंबर 109 में से रकबा कम कर नये खसरा नंबर 109/651 रकबा 0.01 है0, 109/652 रकबा 0.05 है0 नये खसरा नंबर कायम कर धापू बेवा श्योनारायण के नाम लगा दिया। इसी प्रकार खसरा नंबर 109 में से 0.03 है0, रकबा कम कर नये खसरा नंबर 127/626 के नक्शे में शामिल कर कल्याण, माधो के नाम लगा दिया। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहो ने भी अपने बयान में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण का ना तो उक्त जमीन पर कब्जा है ना ही वह उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रर्वतन के आने के दिन से ही शुरू से उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हैसियत काश्त कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। अतः तनकी नंबर 2 भी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

3. आया खसरा नंबर 506, 507 एवं 508 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा जो वादी की खातेदारी में दर्ज है का नवीन खसरा नंबर 607 रकबा 1.53 व खसरा नंबर 216 का रकबा 0.02 है0, बनाकर उक्त खसरा नंबर 216 का रकबा 0.02 है0 को झूथा पुत्र सालगा, गोपी पुत्र नानूडा के नाम लगा दिया जो गलत है तथा वादीगण इसे दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

बिन्दू संख्या 3 को भी सिद्व करने का भार वादीगण पर था वादी ने बिन्दू संख्या 3 को सिद्व करने हेतु साबिक खसरा नंबर 506, 507 एवं 508 का साबिक नक्शा व हाल नक्शा प्रस्तुत किया है जिसे सुपर इम्पोज करने पर स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 506, 507 व 508 से ही खसरा नंबर 216 बने है। व तहसीदार सांगानेर के जवाब से स्पष्ट है कि "जरिये बदर पत्रावली क्रमांक 62 दिनांक 03.01.96 की बदर संख्या 19, 20, 48 व 50 के द्वारा खसरा नंबर 216 रकबा 0.02, दर्ज कर झूंथा पुत्र सालगा, गोपी पुत्र नानूडा जाति जाट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहो ने भी अपने बयान में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण का ना तो उक्त जमीन पर कब्जा है ना ही वह उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण ही शुरू से उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अतः तनकी नंबर 3 भी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

4. आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

तनकी नंबर 4 को भी सिद्व करने का भार वादीगण पर था तनकी नंबर 2 व 3 के निर्णय से यह स्पष्ट हो चुका है कि साबिक खसरा नंबर 109 से बने खसरा नंबर 109/651, 109/652 व 127/626 के नक्शे एवं साबिक खसरा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 506, 507, 508 से खसरा नंबर 216 के खातेदार वादीगण ही है इसलिए तनकी नंबर 4 भी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

5. यह कि राज्य सरकार के आदेश से खातो की दुरूस्ती की गई है तथा उसी आदेश के तहत रकबा व नक्शे में दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण के खाते में भूमि डाली गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।

विन्दू संख्या 5 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 पर था लेकिन प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजात आदेश/निर्णय प्रस्तुत नही किया जिससे स्पष्ट हो कि प्रतिवादीगण के खाते में डाली गई भूमि नियमानुसार सही है। साथ ही किस प्रकार से वादीगण का वाद चलने योग्य नही है। प्रतिवादीगण ने ना ही अपने समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है बल्कि दौराने दावा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के उपस्थित नहीं होने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। ऐसे में तनकी नंबर 5 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

6 यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 गत खसरा नंबर 76 के पूर्व के नक्शे के अनुसार काबिज है तथा नया नक्शा भी गत खसरा नंबर के नक्शे अनुसार ही बनाया है। अतः वादीगण का वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

तनकी नंबर 6 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पर था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत अपने कथनों को सिद्व करने हेतु ऐसा कोई दस्तावेजात साक्ष्य प्रस्तुत ही नही किया जिससे ऐसा प्रतीत हो कि नया नक्शा भी गत खसरा नंबर के नक्शे अनुसार ही बनाया गया है और प्रतिवादीगण पूर्व नक्शे अनुसार काबिज है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत हाल व साबिक नक्शे से स्पष्ट हो चुका है कि हाल नक्शे व साबिक नक्शे में वादीगण के साबिक खसरा नंबरान् के नक्शे में बने हाल नक्शा में नक्शे को छोटा कर नये नंबर बनाये गये व नये नंबर की खातेदारी बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश/निर्णय के प्रतिवादीगण के नाम अंकित की गई है जिसे दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है। साबिक खसरा नंबर 87, 506, 507, 508 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण की जो भूमि कम की गई है वह प्रतिवादीगण के नाम गलत अंकित की गई है तथा वादीगण के गवाहो ने भी पुष्टि की है कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

काबिज नही है बल्कि वादीगण ही उक्त साबिक खसरा नंबरान् की भूमि पर लगातार काबिज है। अतः तनकी नंबर 6 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

7 दादरसी

चूंकि तनकी नंबर 1, 2, 3, 4 वादीगण के पक्ष में व तनकी नंबर 5, 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की गई है। जिससे स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण अपने दावे को सिद्व करने में सफल रहें है। और राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है।

अतः तनकी नंबर 1, 2, 3, 4 के निर्णय अनुसार हाल खसरा नंबर 109/651 रकबा 0.01 है0 व 109/652 रकबा 0.05 है0, व हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.02 है0 खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। तथा हाल खसरा नंबर 127/626 रकबा 0.03 हैक्टेयर के उत्तरी–पूर्वी नक्शे में जो शामिल साबिक खसरा नंबर 87 का ही भाग है उस हद तक साबिक खसरा नंबर 87 की सीमा घोषित की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अलम दरामद करें। तथा हाल नक्शे को साबिक खसर नंबर 87 व 506, 507, 508 के नक्शे अनुसार दुरूस्त करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

नाथू **बनाम** रामनारायण वगै.

दावा बाबत् अधिकार घोषणा एवम् निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी ए

मुकदमा नम्बर – दावा/2020/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया [illegible] व डिक्री दी जाती है कि

[illegible] नंबर 1, 2, 3, 4 के निर्णय अनुसार हाल खसरा नंबर 109/651 रकबा 0.01 हे0, [illegible]/6[illegible] रकबा 0.05 हे0, व हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.02 हे0 का खातेदार काश्तकार [illegible] घोषित किया जाता है। तथा हाल खसरा नंबर 127/626 रकबा 0.03 हैक्टेयर के [illegible] में जो शामिल साबिक खसरा नंबर 87 का ही भाग है उस हद तक साबिक [illegible] की सीमा घोषित की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर [illegible] में प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] दर्ज करें तथा हाल नक्शे को साबिक खसर नंबर 87 व 506, 507, 508 के नक्शे अनुसार दुरूस्त करें। **इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।**

निज ....—.......... मुबलिग ....—.......... बाबत् ....—..........—..........

.... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ....—.......... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.......... का

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.04.2022 को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

दस्तखत ....(हस्ताक्षर)..........

ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 12:57:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner